न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:-श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 231/2018 दायर दिनाँक 30.06..2018

आवेदक		अनावेदकगण
1. तनसुखराम पुत्र भागीरथराम, उम्र-42साल, 2. मदनलाल पुत्र भागीरथराम, उम्र-39साल, 3. दुर्गाराम पुत्र भागीरथराम, उम्र-36साल, समस्त,जाति-जाट, निवासी-मण्डाबासनी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1.राजस्थान-सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 2.ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3.प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डाबासनी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 4.जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, नागौर, जिला-नागौर, राजस्थान।

आवेदन-पत्र
अन्तर्गत धारा 48 व 49 R.T. Act.

उपस्थित:-
1. श्री राजेन्द्रकुमार माथुर, वकील, आवेदकगण।

-:: निर्णय ::-

दिनाँक 13.08.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद मण्डाबासनी में खसरा नम्बर 775/615 रकबा 05.18 बीघा भूमि आवेदकगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज है। शरहद मण्डाबासनी में खसरा नम्बर 611 रकबा 0.08 बीघा अवस्थित है जो कि शिक्षा विभाग के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज है। नकल खतौनियाँ वाद के साथ पेश है। उक्त दौनों भूमियां एक-दूसरे के चिपते ही मौके पर अवस्थित है। नजरीनक्शा वाद के साथ पेश है।

उपर्युक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमियों में से नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी भूमि को खसरा नम्बर 775/615 की भूमि में से लेकर खसरा नम्बर 611 में मिलाकर व मार्क डी ई एफ जी भूमि को

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official
Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 611 में से लेकर खसरा नम्बर 775/615 में मिला लिया। इस प्रकार भूमियों का विनिमय किया गया है।

आवेदकगण अनुतोष–

नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी भाग की भूमि को शरहद मण्डाबासनी खसरा नम्बर 611 रकबा 0.08 बीघा भूमि का भाग घोषित किया जावे तथा मार्क डी ई एफ जी भाग की भूमि को शरहद मण्डाबासनी खसरा नम्बर 775/615 रकबा 05.18 बीघा का भाग घोषित किया जावे।

आवेदकगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। आवेदक संख्या 01 इकबालिया जवाब पेश किया। आवदेक संख्या 02 ने प्रार्थना–पत्र पेश कर वादग्रस्त क्षेत्र उनसे सम्बन्धित न होकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा नागौर से सम्बन्धित है जिसकारण उन्हें पक्षकार बनाया जावे। अनावेदकगण संख्या 03 व 04 को पक्षकार बनाया जाकर नोटिस जारी किया गया। अनावेदकगण संख्या 03 व 04 की ओर से अनावेदक संख्या 03 ने इकबालिया जवाब पेश कर अनापत्ति होना बतलाया है।

आवेदकगण ने आवेदन के समर्थन में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, नक्शाट्रेश, जमाबन्दी ग्राम मण्डाबासनी सम्वत् 2070–73 खेवट संख्या 113/186 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम मण्डाबासनी सम्वत् 2070–73 खेवट संख्या 440/325 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

विद्वान वकील आवेदकगण की सारगर्भित बहस सुनी गयी जिसमें आवेदन को स्वीकार कर आवेदक अनुतोषानुसार आवेदन डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे है। अनावेदकगण ने इबालिया जवाब पेश कर अनापत्ति पेश कर दी है। आवेदन का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदन आवेदकगण स्वीकार किया जाकर, आवेदकगण के पक्ष में आवेदन डिक्री सादिर किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः बाद विवेचन, आवेदन, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व--वाद, संख्या 231/2018
दायर दिनाँक 30.08.2018, निर्णय दिनाँक13.08.2018
तनसुखराम, वगैरा बनाम् राजस्थान--सरकार, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मण्डाबासनी के वादवर्णित/वादग्रस्त खसरान् की भूमियों की वर्तमान रैवेन्यू ट्रेश नक्शा, निम्नानुसार तब्दीली की जाती है:--,

1. नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी भाग की भूमि को शरहद मण्डाबासनी खसरा नम्बर 611 रकबा 0.08 बीघा भूमि का भाग घोषित किया जाता है।
2. नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क डी ई एफ जी भाग की भूमि को शरहद मण्डाबासनी खसरा नम्बर 775/615 रकबा 05.18 बीघा भूमि का भाग घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व नक्शा ट्रेश में अमल दरामद की जावे। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 13.08.2018 को सरे इलजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 231 / 2018 दायर दिनाँक 30.06..2018

आवेदक		अनावेदकगण
1. तनसुखराम पुत्र भागीरथराम, उम्र–42साल, 2. मदनलाल पुत्र भागीरथराम, उम्र–39साल, 3. दुर्गाराम पुत्र भागीरथराम, उम्र–36साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–मण्डाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, नागौर, जिला–नागौर, राजस्थान।

<u>आवेदन–पत्र</u>

<u>अन्तर्गत धारा 48 व 49 R.T. Act.</u>

दिनाँक 13.08.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्रकुमार माथुर, वकील, आवेदकगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मण्डाबासनी के वादवर्णित / वादग्रस्त खसरान् की भूमियों की वर्तमान रैवेन्यू ट्रेश नक्शा, निम्नानुसार तब्दीली की जाती हैः–,

1. नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी भाग की भूमि को शरहद मण्डाबासनी खसरा नम्बर 611 रकबा 0.08 बीघा भूमि का भाग घोषित किया जाता है।
2. नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क डी ई एफ जी भाग की भूमि को शरहद मण्डाबासनी खसरा नम्बर 775 / 615 रकबा 05.18 बीघा भूमि का भाग घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपर्युक्तानुसार राजस्व नक्शा ट्रेश में अमल दरामद की जावे। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.........--......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भारह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.08.2018 को खुले इजलास में जारी की गयी।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमि नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कनि नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–231 / 2018 / रीडर / 2018 / 796 दिनाँक 31/8/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विशयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

आवेदन–पत्र
अन्तर्गत धारा 48 व 49 R.T. Act.

आवेदक		अनावेदकगण
1. तनसुखराम पुत्र भागीरथराम, उम्र–42साल, जाति–जाट, निवासी–मण्डाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम्	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पाट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner